

निःशुल्क बालू के लिए आवश्यक जानकारी एवं दिशा निर्देश

गैर आयकर दाताओं को निःशुल्क बालू प्राप्त करने के लिए अर्हता एवं शर्तः

1. व्यक्तिगत क्रेता केवल गैर आयकर दाता हो
2. क्रेता थोक एवं अधिकृत डीलर ना हो
3. केवल अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए
4. अवधी 01.08.2024 से 31.12.2024 तक मान्य
5. अधिकतम मात्रा 2000 घन फीट
6. क्रेता को बालू परिवहन हेतु वाहन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी

जे.एस.एम.डी.सी. के पोर्टल (www.jsmdc.in के Online Sand Booking) पर यूजर आईडी बनाने हेतु दिशा निर्देशः

1. क्रेता को अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर उपयोग करना होगा
2. क्रेता को अपना व्यक्तिगत आधार और पैन (वैकल्पिक) को स्व अभिप्रमाणित करके अपलोड करना होगा
3. बालू उपयोग करने का पूरा पता (Complete Delivery Address)
4. बालू के उपयोग का उद्देश्य
5. क्रेता को स्वघोषणा स्वीकार करना होगा
6. जे.एस.एम.डी.सी. द्वारा आईडी स्वीकृत होने के बाद, क्रेता संबंधित स्टॉकयार्ड से बालू की बुकिंग कर सकते हैं